ई–पत्रावली संख्या–48800

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार, I.A.S,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक मार्च 2025

विषयः–एस0सी0एस0पी0 बाढ़ सुरक्षा कार्य मद के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखड पाबौ में पश्चित नयार से सिमखेत ग्राम की बाढ़ सुरक्षा योजना की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5176/प्र0अ0/सि0वि0/बजट/पी–27(एस0सी0एस0पी0) दिनांक 24.12.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है एस0सी0एस0पी0–बाढ़ नियंत्रण वहृद मद के अन्तर्गत **जनपद पौड़ी के विकासखड पाबौ में पश्चित नयार से सिमखेत ग्राम की बाढ़ सुरक्षा योजना** की विभागीय टी0ए0सी द्वारा संस्तुत कुल लागत **रू0 172.85 लाख (रू0 एक करोड़ बहत्तर लाख पिचासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रू0 43.11 लाख (रू0 तिरालिस लाख ग्यारह हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्या–167541/2023 दिनांक 08 नवम्बर, 2023 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या–128975/xxvii(1)/2022 दिनांक 12 जून, 2023 के अनुसार कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की आख्या प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

(iii) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि जो कार्य किजस गाँव व स्थल के लिए स्वीकृत किया जा रहा है वह कार्य उसी स्थल पर किया गया है।

(iv) उक्त कार्यों की Geo Tagging तथा थर्ड पार्टी ऑडिट आवश्यक कराया जाय।

(v) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त योजनाओं की Funding और कहीं से न हो।

(vi) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(vii) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय स्वीकृत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(viii) योजनाओं हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबंन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(ix) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा। धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(x) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2018 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(xi) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(xii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(xiii) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xiv) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xv) विभागीय कार्य करने से पूर्व तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(xvi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक माह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(xvii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण– 103–सिविल निर्माण कार्य–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–280040/2025 , दिनांकः 04 मार्च, 2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक– Allotment ID

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 06-03-2025 11:28:15

भवदीय,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

ई–पत्रावली संख्या–48800, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

Signed by
Jai Lal Sharma
Date: 06-03-2025 14:06:17

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।